



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



25 फाल्गुन, 1945 (श०)

संख्या - 165 राँची, शुक्रवार,

15 मार्च, 2024 (ई०)

उद्योग विभाग

संकल्प

14 मार्च, 2024

विषय: लोकवित्त (राज्य) प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत Special Assistance to States for Capital Investment for 2023-24 के Part-VI-Construction of Unity Malls से संबंधित योजना एवं सन्निहित राशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

संख्या- sws/one District one Product-56/2022 61/SC--भारत सरकार द्वारा Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2023-24 के अन्तर्गत राज्यों को ढांचागत सुधार में अतिरिक्त पूँजीनिवेश में विशेष सहायता हेतु एक पहल की गयी है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को 50 वर्ष हेतु ब्याजमुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना है।

Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2023-24 के Part-VI के अंतर्गत राज्यों के राजधानी अथवा प्रमुख पर्यटन केन्द्रों में Unity Mall के निर्माण का प्रस्ताव है।

2. Unity Mall के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

- राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।
- Make in India को बढ़ावा देना।
- One District One Product को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण शिल्पियों (Rural Artisan) को उनके द्वारा तैयार उत्पाद हेतु बाजार उपलब्ध कराना।
- रोजगार का सृजन।

भारत सरकार द्वारा Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2023-24 के Part-VI अंतर्गत देश के सभी Unity Malls के निर्माण हेतु कुल ₹ 5000.00 करोड़ (पाँच हजार करोड़ ₹ 0) मात्र की राशि निर्धारित की गई है। झारखण्ड राज्य द्वारा समर्पित Detailed Project Report (DPR) को Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) Govt. of India द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा इसके आलोक में लोकवित्त (राज्य) प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- F.No-44(1)/PF-S/(CAPEX) Part-VI/2023-24 दिनांक-5 दिसम्बर 2023 के द्वारा Construction of Unity Mall at Ranchi की स्वीकृति प्राप्त हुई जिसकी कुल लागत ₹ 162.92 करोड़ है।

3. भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राँची में Unity Mall के निर्माण हेतु सम्पूर्ण लागत राशि ₹ 162.92 करोड़ का वित्त-पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।
4. केन्द्र सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार Unity Mall के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराया जाना है अथवा भूमि का मूल्य राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।
5. TIES योजनान्तर्गत World Trade Centre निर्माण हेतु जिडको को निःशुल्क Core Capital Area, Side-1, HEC, Dhurwa, Ranchi में 3.45 एकड़ (तीन एकड़ पैंतालिस डिसमिल) भूमि उपलब्ध कराई गई है। इस भू-खण्ड के ही एक भाग पर Unity Mall का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची की सहमति तथा मुख्य सचिव, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

वर्तमान में World Trade Centre का निर्माण कार्य स्थगित है। यदि भविष्य में पुनः World Trade Centre का निर्माण प्रारंभ किया जाता है, तो उपलब्ध 3.45 एकड़ (तीन एकड़ पैंतालिस डिसमिल) भूमि में Unity Mall के साथ-साथ World Trade Centre का भी निर्माण कार्य किया जा सकेगा।

6. इस योजना की Implementing Agency, Jharkhand Industrial Infrastructure Development Corporation Ltd. (JIIDCO) होगी। इस परियोजना के पूर्ण होने के उपरांत संपत्ति का स्वामित्व उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची के पास होगा। इस संपत्ति के रख-रखाव की जिम्मेवारी (JIIDCO) की होगी, जिसके लिए उपयोगकर्ता/सदस्यों से आवश्यकतानुसार उपयोगिता शुल्क/किराया अथवा अन्य शुल्क लिया जाएगा ।
7. वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना हेतु स्वीकृत राशि का वहन मुख्यशीर्ष-4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-00- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-लघु शीर्ष-101- औद्योगिक क्षेत्र-उपशीर्ष-03-युनिटी मॉल का निर्माण- विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण -45-निर्माण कार्य में उपबंधित रू० 162.92 करोड़ (एक सौ बासठ करोड़ बानवे लाख रू०) मात्र से किया जाएगा, जो तृतीय अनुपूरक से उपबंधित है ।
8. Unity Mall निर्माण के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।
9. उपरोक्त परिपेक्ष्य में DPR के अनुसार Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2023-24 के Part-VI के तहत राँची जिला में Unity Mall के निर्माण जिसकी कुल लागत रू० 162.92 करोड़ है एवं जिसका सम्पूर्ण वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाना है, पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
10. दिनांक-22.02.2024 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य योजना प्राधिकृत समिति की बैठक में उक्त कंडिका-9 में निहित प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की सहमति प्राप्त है ।
11. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक-06.03.2024 की बैठक में मद् संख्या-36 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव ।
